eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

# मानव अधिकार एवं घरेलू हिंसा

[1]डा0 प्रवेश कुमार
[2]कुसुम
[1]विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ0प्र0)
[2](पी0एच0डी0 शोधार्थिनी), शिक्षा संकाय, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

## Abstract

पृथ्वी पर मानव जीवन के आरम्भ से ही पुरूष और महिला का अटूट् साथ रहा है। यह मानव की अर्धागिनी की भूमिका निभाती रही है। मानव जीवन के आरम्भ में पुरूष और महिला अपने आसपास की चीजों को जानने का प्रयास करते–करते उनकी बुद्धि का विकास भी आवश्यकतानुसार बढ़ता गया और मानव जीवन में बदलाव चंहुमुखि विकास की ओर तीव्रगति से अग्रसर होने लगा। पुरूष के साथ महिला की भूमिका विशेष रही है लेकिन समयनुसार पुरूष महिला को अपने से कमतर आंकने लगा ओर धीरे–धीरे महिला को पुरूष के ऊपर निर्भर समझा जाने लगा जैसे–जैसे मानव विकास की .और उन्नमुख होता रहा वैसे–वैसे ही महिला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिजनों का व्यवहार असहज महसूस करने लगी।

भारत में वर्ण व्यवस्था के कारण सर्वाधिक निम्न वर्ण की महिला व पुरूषों का शोषण किया गया। महिलाओं के साथ की जाने वाली हिंसा को इतिहास से वंचित रखा गया। कुछ किताबों के माध्यम से ही हम महिला हिंसा को पढ़ने के बाद हमारी रूह कांपने लगती है। आंखे नम हो जाती हैं। विभिन्न समाज सुधारकों के अचूक प्रयास के बाद भी महिलाओं के प्रति हिंसा रूक न सकी। समयानुसार अपना रूप बदल–बदल कर चली आ रही है जो वर्तमान में समाज के प्रत्येक वर्ग में व्याप्त है।

**शब्द संक्षेप–** लैंगिक हिंसा**,** मानवीय गरिमा, मानव अधिकार एवं घरेलू हिंसा।

## Introduction

महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की हिंसाऐ और मानवाधिकार हनन की घटनाऐं सम्पूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त हैं। प्रत्येक समाज का मूल्याकंन इस आधार पर किया जा सकता है कि उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है? किसी समाज व देश की सभ्यता की भावना को समझने व उसकी सर्वोच्चता और सीमाओं को समझने या तारीफ करने और उन्हे हृदय की भावनाओं से महसूस करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि समय–समय पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में विकास और परिवर्तन के वृहत आंकड़ों का अध्ययन किया जाए।

इसलिए भविष्य के समाज को देखना अति आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति और अधिकारों को प्रभावित करने वाले पैमाने और मूल्य भविष्य में अपनी जड़ें गहरी कर चुके है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

विशेष रूप से एक वर्ग विशेष की महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसाओं का एक बहुत भयानक एवं लम्बा इतिहास रहा है। समाज द्वारा कुछ औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिबन्ध रहे है जिन्होने महिलाओं और लड़कियों को सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीतियों की आड़ में होने वाली महिला हिंसाओं का नाश करने की और सरकार व समाज सुधारकों का ध्यान आकृषित किया है। घरेलू हिंसा मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य सुरक्षा, आत्मरक्षा, आर्थिक नुकसान और ऐसी असहनीय क्षति जिससे महिला व बच्चें को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े तथा कन्या भ्रूण हत्या , बालिकाओं व महिलाओं के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से दुर्व्यवहार, सामाजिक उत्पीड़न, मानसिक यातना, शारीरिक हिंसा और मन की भावनाओं को चोट पहुंचाना आदि महिला हिंसा के दायरे में आता है।

**घरेलू हिंसा व कानून–** अपने जीवन की रक्षा करना हमारा अधिकार है चाहे वो रक्षा दूसरों से हो या फिर अपनों से घर की चारदीवारी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। लेकिन तब क्या जब इस चार दीवारी के अन्दर ही आपका दम घुटने लगे, आप पर जुल्म होने लगे , आपके अपने ही आप पर अत्याचार करने लगे, कहां जाये , किससे करें शिकायत, किससे मांगें मदद। जब अपने ही बन जाये आपके दुश्मन ऐसे में कौन करेगा आपकी मदद? ये वो सवाल हैं जो जहन में पहुंचते है जब आप घरेलू हिंसा का शिकार होते है। घरेलू हिंसा आपके अपने घर में अपनों के द्वारा किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक आघात है। आज हम बात करेगें घरेलू हिंसा एक्ट 2005 की। बात करेगें 2005 से पहले क्या कानून थे। ऐसे में दण्ड संहिता धारा 498 के अन्तर्गत अपराधी को दंडित करना है तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सुरक्षित करना है लेकिन बात सिर्फ यही तक नही रूक जाती उस घरेलू हिंसा का क्या जो पत्नी अपने पति पर करे या मां बाप अपने बच्चों पर अन्याय करे या फिर बुजुर्गो पर अत्याचार करे तो यह चर्चा का विषय है। घरेलू हिसा सिर्फ महिलाओं तक सीमित नही है बल्कि पुरूष ,बुजुर्ग तथा बच्चे भी घरेलू हिंसा में शामिल होते है।

आज हम बात करेगें कि अगर आपके आस–पास घरेलू हिंसा हो रही है या आप खुद उसका शिकार है तब आपको क्या करना चाहिए कैसे आपकों मदद मिल सकती है। आज हम कानून के बारे में बातें करते है। आज हम आपको बताते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा के दायरे में कौन–कौन आते है? क्या सिर्फ महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं या पुरूष भी मुक्त भोगी है? घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या प्रावधान है। घरेलू हिंसा के लिये कानून ने क्या व्यवस्थाएं की है तथा क्या अधिकार दिये गये हैं। शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, आघात पहुंचाना या बल का प्रयोग, पत्नी–बच्चों से प्रेम ना करना भी घरेलू हिंसा है, महिला के स्वास्थ्य या शारीरिक विकास को हानि–पहुंचाना, भोजन न देना या बीमार महिला का इलाज न करवाना, घरेलू हिंसा कानून की धारा 3 में वर्णन है। लैंगिग हिंसा, गरिमा को हानि पहुंचाना, अपमान या तिरस्कार करना, संभोग और वैवाहिक बलात्कार भी घरेलू हिंसा के दायरे में आती है। मौखिक, भावनात्मक, हिंसा, संतान न होने पर अपमान या उपहास, महिला से गाली गलौज या अभ्रद भाषा का इस्तेमाल करना, महिला के रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, आर्थिक दुरूपयोग, वित्तीय या आर्थिक–संसाधन से वंचित करना, स्त्रीधन या संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति से वंचित करना, दहेज या किसी सम्पत्ति की गैर कानूनी मांग करना आदि घरेलू हिंसा के दायरे में आती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

## घरेलू हिंसा कानून : 2005 क्या आपके अधिकार ?

- ★ घरों में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू।
- ★ माता–बहनें, भाभी कर सकती है शिकायत ।
- ★ लिव इन में रहने वाली महिला पर लागू।
- ★ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत।
- ★ मजिस्ट्रेट और सेवा प्रदाता से शिकायत।
- ★ पीड़ित को मुआवजा या वित्तीय भरपाई।
- ★ बंद कमरे में केस की कार्यवाही।
- ★ मजिस्ट्रेट का अंतरिम आदेश।

महिलाओं के साथ–साथ पुरूष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। अगर घरेलू हिंसा का दुरूपयोग हो रहा है या झूठे केस लगाये जा रहे है तो ऐसे में कानून महिलाओं एवं पुरूष दोनों के लिए होना चाहिए। एन0सी0डब्लू ने घरेलू हिंसा के मामलों की रिर्पोट करने के लिए 10 अप्रैल 2020 को एक व्हाट्सएप नवम्बर 7217735372 भी लॉच किया है।

घरेलू हिंसा से बचने के लिए महिलायें निम्न अधिनियम का प्रयोग कर सकती है–

1. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
2. महिला सुरक्षा कानून
3. पॉक्सो एक्ट कानून
4. दहेज निषेध अधिनियम 1961
5. भारतीय तलाक अधिनियम 1969
6. मेटरनिटी लाभ अधिनियम 1861
7. कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न
8. समान पारिक्षनिक अधिनियम 1976
9. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम ,2006
10. भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 498–A के तहत आरोपी के विरूद्ध आपराधिक मामलों को दर्ज करा सकती है एवं अपराधी को दण्ड दिला सकती है।

घरेलू हिंसा के शिकार पति पत्नी पर अपने एवं अपने परिवार के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 120 बी0 के अन्तर्गत पत्नी के खिलाफ – आपराधिक साजिश करने में केस दर्ज करा सकता है।

**घरेलू हिंसा के आंकड़े –** नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरों के मुताबिक घरेलू हिंसा के मामले में मध्यप्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर दर्ज है। 2012 में मध्यप्रदेश में घरेलू हिंसा के 9, 536 मामले दर्ज हुए जबकि तमिलनाडू में 3,838 मामले 2023 में बिहार में दहेज प्रताड़ना के करीब 1300 मामले प्रकाश में आए। वैसे 2012 में घरेलू हिंसा के कुल 16,309 केस दर्ज हुए थे। दहेज प्रताड़ना के मामले में आन्ध्रप्रदेश सबसे ऊपर है यहां पर 9038 केस दर्ज हुए है। इसके

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

बाद ओडिसा (1,487) कर्नाटक (1,328) और झारखण्ड (1,066) का नंबर है। 2021 में पश्चिम बंगाल में पति –पत्नी या उनके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के घरेलू हिंसा के रूप में अधिक मामले देखे गए है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में 18,375 मामले एवं राजस्थान में 16,949 मामले दर्ज किये गये।

गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिर्पोट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में प्रति एक लाख पर 41. 50 महिला केन्द्र में महिला हिंसा का शिकार हुयी जबकि राष्ट्रीय औसत 20.50 था।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 22372 गृहणियों ने आत्महत्या की थी इसके अनुसार हर दिन 61 और हर 25 मिनट में एक आत्महत्या हुई है। देश में 2020 में कुछ 153,052 आत्महत्याओं में से गृहणियों की संख्या 14.6 प्रतिशत है। दिल्ली में 2018 में सबसे अधिक 1,217 बलात्कार दर्ज किए गए।

सरकार की रिर्पोट के अनुसार 2016 से 2021 तक देश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की 22. 8 लाख घटनाएं दर्ज की गई और इनमें से 7 लाख घटनाएं घरेलू हिंसा से संबंधित थी।

29 मार्च 2023 में भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मत्रांलय द्वारा जारी एक रिर्पोट , **विमेन एण्ड मेन इन इण्डिया** 2022 ने NCRB डाटा का अध्ययन करके महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के जो आंकड़े प्रस्तुत किये है वे चौकाने वाले है।

इस रिर्पोट में 2016 से 2021 के बीच में हो रहे अत्याचार व हिंसा के आंकड़े दिये गये है–2016 में यह आंकड़ा 33 प्रतिशत था, 2017 में 29 प्रतिशत, 2018 में 27 प्रतिशत , 2019 में 31 प्रतिशत, 2020 में 30 प्रतिशत और 2021 में 32 प्रतिशत।

इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते है कि महिलाओं पर अपराध के प्रत्येक तीन मामलों में से एक ससुराल में होने वाली हिंसा से सबंधित है। आये दिन अखबारों की खबरों को देखकर पता चलता है कि– घरेलू हिंसा दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

उत्तर प्रदेश में नवम्बर 2022 की दो घटनाएं है–गुड़गांव में एक 24 वर्षीय युवती जो 6 माह की गर्भवती थी को उसके पति और उसके परिवार वाले पीट–पीटकर मौत के घाट उतार देते है क्योकि उन्हे पर्याप्त दहेज नही मिला था।

दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा में न्यूक्लियर फैमिली में रह रही एक 35 वर्षीय महिला अपनी बिल्डिंग की छठी मंजिल से कूदकर अपने प्राण गंवा देती है। पारिवारिक कलह के कारण इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि आज महिलाओं की स्थिति दयनीय है क्योंकि अधिकांश महिलाये जागरूक नही हैं तथा कुछ महिलायें समाज के डर से तथा आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी पुलिस में रिर्पोट नही कर पाती हैं। महिलायें सोचतीं हैं कि अगर हम केस करेगें तो घर में कलह होगी। अगर तलाक हो जाता है तो बच्चों का क्या होगा तथा उनका पालन–पोषण कैसे होगा? कोर्ट–कचहरी के धक्के कौन खायेगा आदि क्योंकि पुलिस भी उन्ही का साथ देती है जिनकी सिफारिश होती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

**निष्कर्ष–** घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नही होते है। हम उन्हे एक बेहतर वातावरण उपलब्ध कराकर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं। यदि हम सही मायनों में "महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से मुक्त भारत" बनाना चाहते है तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर महिला एवं पुरूष दोनों को ही जागरूक करना होगा तभी हम राष्ट्रव्यापी, अनवरत् तथा समृद्ध भावी समाज की कल्पना कर सकते हैं।

आज हमारे लिये घरेलू हिंसा चिन्ता का विषय बन गयी है और जब तक हम सभी भारतीय एक नही होगें तब तक इसका कोई समाधान नही निकलेगा।

समाज में व्याप्त इस विकराल समस्या को समाप्त करने के लिए कानून के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति अपनी भद्दी मानसिकता में शीघ्र सुधार करके महिलाओं को स्वतन्त्र जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए उनके आत्म सम्मान की रक्षा करने का प्रत्येक व्यक्ति को प्रण लेना चाहिए जिससे यह भयंकर समस्या अतीत में अपने कदम न बढ़ा सके।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. खंडेला मानचन्द्र (2017) आधुनिकता और महिला उत्पीड़न, आई0पी0पी0 प्रकाशन
2. मेहरोत्रा ममत (2014) महिला अधिकार, राधा कृष्णन प्रकाशन
3. भट्टाचार्य रिंकी (2017) भाारत में घरेलू हिंसा, सागर पब्लिकेशन
4. चन्देल डा0 अर्जना (2018) महिला उत्पीड़न और नारी उत्थान ,नेहा पब्लिकेशन
5. शुक्ला डा0 प्रवीण (2019) महिला सशक्तिकरण बाधायें एवं संकल्प, आर0के0पब्लिकेशन
6. वर्मा भावना ,दोस्त के ही ,सैनी निधि (2010) घरेलू परेशानियाँ : समस्या एवं समाधान अमाना प्रकाशन
7. Drishtiias.com
8. जैन के0एस0 (2021) डाइजेस्ट ऑन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधि (2005–2020)